तारीख हुकम	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** **अज अदालत अपर जिला न्यायाधीश, संख्या–1, किशनगढ,अजमेर** **दीवानी दावा संख्या–46/2012** **सी.आई.एस संख्या– 508/2014** **सचिन खण्डेलवाल वगैरह बनाम लालचन्द व अन्य** 1	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये

16.09.2025	श्री परमानन्द शर्मा विद्वान अधिवक्ता–प्रार्थी/वादी की ओर से श्री इन्द्रेश के. रामचन्दानी विद्वान अधिवक्ता/अप्रार्थी प्रतिवादी की ओर से उपस्थित। हस्तगत प्रकरण में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 65 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का लंबित है। इस प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/वादी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि इस न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांकित 13.08.2025 के माध्यम से वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो की फोटो प्रतियों को रिकॉर्ड पर लिया गया है। जिनकी असल प्रति प्रतिवादीगण के कब्जे में है। जिन असल प्रतियों को प्रस्तुत करने हेतु वादी ने अन्तर्गत आदेश 12 नियम 08 जा.दी. के तहत नोटिस प्रतिवादीगण को प्रेषित किये एवं उन्हे उक्त फोटोकॉपी दस्तावेजो की असल प्रति माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत करने हेतु कहा। इन नोटिसों को लेने से प्रतिवादीगण ने जान–बूझकर इंकार कर दिया और असल प्रतियों को प्रस्तुत नही किया। ऐसी स्थिति में वादी की ओर से प्रस्तुत उक्त दस्तावेजो की फोटो प्रतियों को द्वितीयक साक्ष्य में ग्रहण किये जाने की अनुमति प्रदान की जावे। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपनी बहस में अपने जबाव प्रार्थना में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि यह प्रार्थना पत्र विलम्ब कारित करने हेतु प्रस्तुत किया है। वादी ने नवीन साक्ष्य अधिनियम के तहत कोई नोटिस प्रेषित नही किया है। नोटिस दिनांक 18.08.2025 को प्रेषित किये गये है एवं यह हस्तगत प्रार्थना पत्र बिना कोई इंतजार किये दिनांक 20.08.2025 को ही प्रस्तुत कर दिया गया है। वादी ने जिन दस्तावेजो को द्वितीयक साक्ष्य में ग्रहण करने की अनुमति चाही है वे दस्तावेजात मूल की फोटो प्रति दस्तावेजात नही है। ऐसी स्थिति में वे द्वितीयक साक्ष्य की परिभाषा मे नही आते है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे। हमने उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने जिन दस्तावेजो को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्रहण किये जाने की अनुमति चाही है उन दस्तावेजो के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इन दस्तावेजों में वैट 03 पंजीयन प्रमाण के अलावा शेष दस्तावेजात फोटो प्रति दस्तावेजात नही है। इन दस्तावेजो पर किसी भी सक्षम अधिकारी के कोई हस्ताक्षर नही है। इसके अतिरिक्त जो वैट 03 पंजीयन प्रमाण पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है वह फोटो प्रति मूल दस्तावेज से बनाई गई फोटो प्रति हो, ऐसा अभिवचन वादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में नही किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में द्वितीयक साक्ष्य के रूप में उन्ही फोटो प्रतियों को ग्रहण किया जा सकता है जो फोटो प्रतियां मूल से ऐसी यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा, जो प्रक्रियाएं स्वंय ही प्रति की शुद्वता	

	सुनिश्चित करती है, बनाई गई प्रतियां अथवा ऐसी प्रतियों से तुलना की गई प्रतिलिपियों हो। चूंकि हस्तगत प्रकरण में उक्त दस्तवेजात के अवलोकन से ये दस्तावेजात मूल से की गई फोटो प्रतियां होना प्रतीत नही होती है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नही होता है। अतः यह प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक **23.09.2025** को पेश हो। **(संदीप आनन्द)** **अपर जिला न्यायाधीश सं.1,** **किशनगढ अजमेर**	

तारीख हुकम	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** **अज अदालत अपर जिला न्यायाधीश, संख्या–1, किशनगढ,अजमेर** **दीवानी दावा संख्या–46/2012** **सी.आई.एस संख्या– 508/2014** **सचिन खण्डेलवाल वगैरह बनाम लालचन्द व अन्य** 3	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये